शहरी समाचार

नई सोच नई पहल

नगरीय प्रशासन निदेशालय,नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार का प्रकाशन

फरवरी, 2021 | मासिक | नगरीय बुलेटिन | पृष्ठ :8 | मूल्य: नि: शुल्क

प्रधान मंत्री आवास योजना–शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojna-Urban

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

DAY-NULM
Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission

आत्मनिर्भर भारत

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार का प्रकाशन

11,592
स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन

67,431
PMAY(U) आवासों का निर्माण पूर्ण

13,382
पीएम स्वनिधि ऋण वितरित

15,842
मुख्यमंत्री श्रमिक योजना (MSY) जॉब कार्ड वितरित

1. नव वर्ष के प्रथम दिन लाइट हाउस प्रोजेक्ट, राँची का हुआ ऑनलाइन शिलान्यास
2. छह दिवसीय आवासीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
3. 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2021' में देवघर नगर निगम को उत्कृष्ट बनाने की पहल में जुटे नगरवासी
4. मिट्टी के बर्तनों पर आकर्षक कलाकृतियाँ उकेर कर अपना भविष्य गढ़ रहीं स्वयं सहायता समूह की महिलायें

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लाइट हाउस प्रोजेक्ट का ऑनलाइन शिलान्यास.

नव वर्ष के प्रथम दिन लाइट हाउस प्रोजेक्ट, राँची का हुआ ऑनलाइन शिलान्यास

नव वर्ष के प्रथम दिन राँची समेत देश के छह शहरों, इंदौर, राजकोट, चेन्नई, राँची, अगरतला और लखनऊ में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती-भारत (जीएचटीसी-भारत) के तहत लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई. इस अवसर पर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं अन्य गणमान्य जनों ने अपनी उपस्थिती दर्ज की. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कम समय में आवास देने के लिए यह पायलट प्रोजेक्ट है. परियोजना अंतर्गत राँची में 1008 आवासों का निर्माण किया जाना है, जिसे एक साल के भीतर पूरा कर लिये जाने की संभावना है. कुल निर्माण कार्य की लागत 133 करोड़ रुपये आएगी.

शिलान्यास उपरांत मीडिया को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमंत सोरेन, माननीय सांसद, श्री संजय सेठ, नगर विकास एवं आवास विभाग सचिव, श्री विनय कुमार चौबे.

परियोजना का उद्देश्य

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज- इंडिया की शुरुआत की गयी है. इसके माध्यम से विश्व स्तर पर टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और आपदारोधी नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों को भारत में मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी.

लाभुकों को लाइट हाउस प्रोजेक्ट अंतर्गत निर्मित फ्लैट में मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं

- विट्रीफाइड टाइल्स युक्त फर्श
- स्टेनलेस स्टील सिंक
- दीवारों पर पुट्टी
- उच्च गुणवत्ता सेनेटरी फिटिंग
- डिस्टेंपर युक्त रंग रोगन
- उच्च गुणवत्ता वायरिंग एवं स्विच
- कमरों में पंखे का प्रावधान
- UPVC खिड़कियां मच्छरदानी सहित
- अग्निशमन की व्यवस्था
- बेडरूम में अलमारी
- रसोई में प्लेटफॉर्म के नीचे कैबिनेट
- बिजली-पानी, पार्क, कम्यूनिटी हॉल, आदि मूलभूत सुविधाएं
- बहुमंजिली होने के कारण हाई स्पीड लिफ्ट और वाहन पार्किंग की भी सुविधा

बेस्ट कम्यूनिटी मोबिलाइजेशन के लिए झारखंड हुआ पुरस्कृत

लाइट हाउस परियोजना के ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम में भारत सरकार के अवसान एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अलग-अलग श्रेणियों में बेहतर कार्य के लिए नगर निकायों को पुरस्कृत किया गया. झारखंड को पाँच श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया. उत्कृष्ट आवास बनाने के लिए जामताड़ा से बादल दास, आदित्यपुर से शंभु सरदार एवं मानगो से संजय धरा को सम्मानित किया गया. उत्कृष्ट नगर परिषद के लिए झुमरी तिलैया नगर परिषद को सम्मान दिया गया. मंत्रालय द्वारा झारखंड को बेस्ट कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए भी पुरस्कृत किया गया.

गरीबों को वर्षों से आवास देने की योजना चला रही सरकार: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि, राज्य सरकार सभी को आवास देने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है. गरीबों और जरूरतमंद बेघरों को आवास देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है. अब तक लाखों बेघरें-गरीबों को आवास की चाभी दी जा चुकी है और साथ ही कई आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है. शहरों में आवास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन पर सरकार विशेष रुप से ध्यान दे रही है. उन्होंने कहा कि लाभुकों को लाइट हाउस परियोजना अंतर्गत निर्मित मकानों में सरकार द्वारा बिजली,पानी, गैस कनेक्शन एवं अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी.

लाइट हाउस परियोजना की प्रमुख विशेषताएं

- भूकंप रोधी, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल. डिजाइन ऐसी होगी कि सूर्य की रोशनी पूरे दिन कमरे में जाए ताकि बिजली की खपत कम हो.
- थ्री-डी प्री कास्ट वॉल्यूमैट्रिक टेक्नोलॉजी की वजह से कारखाना में ही कमरे के ब्लॉक का निर्माण होगा। फिर एक के ऊपर एक रखकर इसे बहुमंजिला का रूप दिया जाएगा.
- प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन होने की वजह से पूरा निर्माण धूल और प्रदूषणमुक्त होगा.
- 90 फीसदी बिल्डिंग का काम कारखाने में होगा.

'मैं भी डिजिटल' अभियान

फुटपाथ विक्रेताओं को दिया गया डिजिटल लेनदेन संबंधी प्रशिक्षण

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए ''मैं भी डिजिटल'' अभियान के तहत राज्य के सभी नगर निकायों में दिनांक 04.01.2021 से 22.01.2021 तक फुटपाथ विक्रेताओं को डिजिटल लेन-देन का बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि) अंतर्गत पथ विक्रेताओं को रुपये 10,000/- की कार्यशील पूंजी ऋण, एक वर्ष के लिए 7% की दर पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराया जाता है. योजनांतर्गत, डिजिटल लेन-देन की स्थिति में ऋण लेने वाले पथ विक्रेताओं को प्रति माह अधिकतम 100 रु कैशबैक के रूप में प्रोत्साहित की जाती है. विदित हो कि योजना के तहत बैंक द्वारा ऋण प्राप्त लाभार्थियों का डिजिटल ऑनबोर्डिंग होना है, जिससे पथ विक्रेताओं के क्रेडिट प्रोफ़ाइल बनाने मे यह मदद करेगा.

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनांतर्गत 'मैं भी डिजिटल' विशेष अभियान, कैश बैक सुविधा के माध्यम से विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करेगी डिजिटल लेनदेन विक्रेताओं की भविष्य की ऋण जरूरतों को बढ़ाने के लिए विक्रेताओं के क्रेडिट स्कोर का सृजन करेगा पेटीएम, गूगल पे, भारत पे, अमेज़न पे, फोन पे आदि जैसे डिजिटल पेमेंट गेटवे और ऋण प्रदाता संस्थाओं के नेटवर्क का उपयोग ऑनबोर्ड पथ विक्रेताओं के डिजिटल लेन-देन हेतु किया जाएगा. ऑनबोर्ड विक्रेताओं को निम्नांकित मानदंडों के अनुसार 50 रूपये - 100 रूपये की रेंज में मासिक नकदी वापसी का प्रोत्साहन दिया जाएगा.

''मैं भी डिजिटल'' कार्यक्रम के अंतर्गत कैशलेस प्रशिक्षण कार्यक्रम.

1. प्रति माह 50 योग्य लेन-देन पर ₹50
2. प्रति माह अगले 50 अतिरिक्त योग्य लेन-देन पर 25₹ (यानी की 100 योग्य लेनदेन करने पर वेंडर को ₹75 प्राप्त होंगे)
3. प्रति माह उससे आगे 100 अतिरिक्त योग्य लेन देन करने पर ₹25 (यानी की 200 योग्य लेन-देन करने पर वेंडर को ₹100 प्राप्त होंगे)

विभिन्न नगर निकायों में प्रशिक्षित स्ट्रीट वेंडर

नगर निगम	कुल प्रशिक्षित स्ट्रीट वेंडर	नगर परिषद	कुल प्रशिक्षित स्ट्रीट वेंडर	नगर पंचायत	कुल प्रशिक्षित स्ट्रीट वेंडर
मेदिनीनगर	170	चाइबासा	88	बासुकीनाथ	45
राँची	438	बिश्रामपुर	154	बुंडू	126
मानगो	221	गढ़वा	152	चाकुलिया	75
धनबाद	397	फुसरो	158	लातेहार	127
आदित्यपुर	368	पाकुड़	57	कोडरमा	74
गिरिडीह	17	गुमला	130	जामताड़ा	62
हजारीबाग	130	गढ़वा	152	छतरपुर	42
देवघर	511	मधुपुर	253	राजमहल	18
चास	244	दुमका	109	महागामा	60
		गोड्डा	178	रामगढ़	234
जमशेदपुर अ.क्षे.स	716	लोहरदगा	142	बंशीधर नगर	26
		मधुपुर	253	मंझियाव	50
		झुमरी तिलैया	268	चिरकुंडा	52
		चक्रधरपुर	51	हुसैनाबाद	33
		मिहिजाम	84	सरायकेला	38
		साहिबगंज	86	छत्तरपुर	42
		रामगढ़	234	खूंटी	63
		सिमडेगा	87	बरहड़वा	16
				डोमचांच	68

लातेहार नगर पंचायत

विभिन्न नगर निकायों में ''मैं भी डिजिटल'' अभियान तहत प्रशिक्षण प्रदान किया गया.

72वें गणतंत्र दिवस पर झांकियों की मनमोहक प्रस्तुति

राँची एवं विभिन्न नगर निकायों में 72वां गणतंत्र दिवस धूम धाम से मनाया गया. इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा दुमका में देशवासियों एवं झारखंडवासियों को गणतंत्र दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए झंडोत्तोलन किया गया. माननीया राज्यपाल श्रीमति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राँची के मोराबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया गया. गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कई विभागों ने योजनाओं एवं उपलब्धियों से संबन्धित मनमोहक झांकियों की प्रस्तुति की. देवघर नगर निगम की झांकी में मुख्य रूप से बाबा बैजनाथ धाम को दर्शाया गया. इसके अतिरिक्त निगम कर्मियों के द्वारा स्वच्छता रैली से संबन्धित तस्वीरों की भी प्रस्तुति की गयी. कोडरमा नगर पंचायत एवं झुमरी तिलैया नगर परिषद द्वारा राज्य एवं केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुति की गयी.

छह दिवसीय आवासीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव श्री विनय कुमार चौबे द्वारा प्रमाण पत्र का वितरण एवं प्रशिक्षुओं को संबोधन करते हुए .

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग के तत्वाधान में नव नियुक्त नगर प्रबंधकों एवं दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्टेट मिशन मैनेजर, सिटी मिशन मैनेजर एवं कम्युनिटी ऑर्गनाइजर हेतु छह दिवसीय आवासीय उन्मुखीकरण-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सिपेट, हेहल, रॉंची में दिनांक 04.01.2021 से 09.01.2021 तक किया गया.

कार्यक्रम का शुभारंभ निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय, विजया जाधव द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया. विभिन्न संकाय-सदस्यों ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न केंद्र एवं राज्य की योजनाओं का प्रशिक्षण दिया. प्रशिक्षुओं को नगरपालिका अधिनियम, सरकारी दस्तावेज से संबंधित, नगर विकास विभाग की संरचना, विभाग द्वारा संचालित विभिन्न केंद्र एवं राज्य की योजनाओं,जैसे-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), DAY-NULM, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई. साथ ही प्रशिक्षुओं को व्यक्तित्व विकास एवं सॉफ्ट स्किल्स की भी ट्रेनिंग दी गई. प्रशिक्षण के दौरान कम्प्यूटर प्रशिक्षण, योगाभ्यास, मनोरंजन, इत्यादि का भी आयोजन किया गया.

प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रशिक्षुओं को रॉंची नगर निगम क्षेत्र में संचालित आश्रय गृह तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का भ्रमण कराया गया. इस अवसर पर श्री ए. के राव, निदेशक,सिपेट, श्रीमती मेघना रूबी कच्छप, सहायक निदेशक एवं श्री शैलेश प्रियदर्शी, सहायक निदेशक सहित निदेशालय की पूरी टीम उपस्थित थी.

> "हर प्रशिक्षु अपनी प्रेरणा, मेहनत एवं लगन को अपने कार्य में लगाए, इमानदारी से अपना कार्य करें ताकि हम सुविधा युक्त शहर का निर्माण कर सकें
> - सचिव"

प्रशिक्षुओं के बीच प्रमाण पत्र का वितरण

प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन में मुख्य अतिथि, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव श्री विनय कुमार चौबे द्वारा सभी प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित किया गया. उन्होंने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि ''हर प्रशिक्षु अपनी प्रेरणा, मेहनत एवं लगन को अपने कार्य में लगाएँ, इमानदारी से अपना कार्य करें ताकि हम सुविधा युक्त शहर का निर्माण कर सकें. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय, विजया जाधव द्वारा सभी नव चयनित कर्मियों को नगर विकास एवं आवास विभाग की योजनाओं को गहराई से जानने के लिए प्रेरित किया ताकि योजना का कियान्वयन प्रभावशाली तरीके से धरातल पर किया जा सके.

आवासीय प्रशिक्षण के दौरान योगाभ्यास करते प्रशिक्षु .

प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेते प्रशिक्षु .

प्रशिक्षण के साथ कम्प्यूटर प्रशिक्षण लेते प्रशिक्षु

'स्वच्छ सर्वेक्षण 2021' में देवघर नगर निगम को उत्कृष्ट बनाने की पहल में जुटे नगरवासी

"देवघर में है दम, नंबर वन बनेंगे हम"

'स्वच्छ सर्वेक्षण 2021' में दिनांक 17 जनवरी 2021 को देवघर नगर निगम को उत्कृष्ट बनाने हेतु देवघर नगर निगम में स्वच्छता रैली का आयोजन हुआ. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में उपायुक्त, श्री मंजूनाथ भजंत्री उपस्थित थे. वहीं नगर आयुक्त, श्री शैलेंद्र कुमार लाल सहित विभाग के अधिकारी, कर्मी, समाजसेवी, सफाई मित्र, आदि के साथ हजारों लोगों के समूह ने स्वच्छता रैली में भाग लिया. नगर आयुक्त ने रैली निकालने से पहले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए स्वच्छता रैली में आगे बढ़ने की अपील की.

उपायुक्त द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया. रैली नगर निगम कार्यालय से हदहदीया चौक, वी.आई.पी चौक, टॉवर चौक होते हुए शिवलोक परिसर पहुँची जहाँ स्वच्छता रैली का समापन किया गया.

स्वच्छता रैली का मुख्य उद्देश्य जन-जन के मध्य स्वच्छता का संदेश देना एवं देवघर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर वन बनाना था. इस हेतु बैनर, पंपलेट, आदि का वितरण किया गया एवं स्लोगन **'देवघर में है दम, नंबर वन बनेंगे हम'** भी बनाया गया.

नगर उपायुक्त ने सभी जिले वासियों एवं निगम पदाधिकारियों से अपील की कि, ''बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सभी का सहयोग अपेक्षित है. जनता के सहयोग से ही देवघर को नंबर वन बनाया जा सकता है. उन्होनें निगम पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि, जागरूकता अभियान के तहत सभी लोगों को सूखे एवं गीले कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन प्रदान किया जाये व शहरों में पार्कों की साफ-सफाई व्यवस्था बनाए रखें.

हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना करते उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री, नगर आयुक्त श्री शैलेंद्र कुमार एवं अन्य.

कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त द्वारा सभी को स्वच्छता शपथ दिलाते हुए कहा गया कि, ''मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा. हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा. मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा. सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करुंगा. मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा.''

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री एवं नगर आयुक्त श्री शैलेंद्र कुमार लाल द्वारा स्वच्छता शपथ दिलाते हुए.

मिट्टी के बर्तनों पर आकर्षक कलाकृतियाँ उकेर कर अपना भविष्य गढ़ रहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं

लॉकडाउन के कारण आम जनमानस के रोजगार पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा, जिससे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी अछूती नहीं रहीं. मानगो नगर निगम अंतर्गत संचालित स्वयं सहायता समूह सिद्धेश्वरी महिला समिति की सदस्यों ने जब अपनी समस्या से सीआरपी गायत्री रजक को अवगत कराया कि वे लोग मिट्टी के बर्तन आदि का कारोबार करती हैं जिसके लिए उन्हें लोन मिल जाए तो व्यवसाय को आगे बढ़ाने में पूंजी की कमी नहीं होगी. लोन की राशि मिलने से हम लोग अधिक से अधिक सामान बनाकर बाजार में बेच सकेंगे व आमदनी के पैसे से परिवार का भरण-पोषण भी अच्छे से हो सकेगा. समस्या से अवगत होने पर सीआरपी ने महिला समिति की सदस्यों को क्रेडिट लिंकेज से मिलने वाले लोन से अवगत कराया.

तत्पश्चात, सिद्धेश्वरी महिला समिति की सदस्यों ने नगर निगम कार्यालय में संपर्क कर बैंक से क्रेडिट लिंकेज दिलाने का आग्रह किया. नगर निगम कार्यालय द्वारा अग्रतर कार्रवाई करते हुए बैंक से समन्वय स्थापित कर क्रेडिट लिंकेज (लोन) दिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। सभी आवश्यक कागज़ी प्रक्रिया के पश्चात सिद्धेश्वरी महिला समिति को रु.1,00,000 का लोन (क्रेडिट लिंकेज) प्रदान किया गया. क्रेडिट लिंकेज (लोन) प्राप्त होने से आज सिद्धेश्वरी महिला समिति कि महिलाएं सफलतापूर्वक अपने रोजगार को आगे बढ़ा रही हैं . महिला समूह द्वारा मिट्टी का बर्तन, घड़ा, गमला, दीया, हांडी, सजावट के सामान, खिलौना आदि बनाया जा रहा है व उनपर आकर्षक पेंटिंग करके सजाया जा रहा है.

खास बातें

- योजना के तहत मिला रु. 1,00,000/-(एक लाख रूपए) का क्रेडिट लिंकेज, रोजगार को विस्तार देकर आमदनी में कर रहीं बढ़ोत्तरी
- मिट्टी के बर्तन, मूर्ति, दीया आदि के ऊपर सुंदर कलाकारी से देती हैं आकर्षक रूप

"कठिनाईयों में दिखी जीने की राह, जब मिला खुद का आवास"

जामताड़ा निवासी 75 वर्षीय बादल दास पेशे से एक मोची है. उम्र के इस पड़ाव में जूता चप्पल मरम्मती करके पूरे परिवार के साथ जीवन यापन करते हैं. घर के नाम पर बादल के पास टूटा हुआ कच्चा मकान था, बरसात व ठंड के समय में बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि मोची के पेशे से पैसा कमाकर अपना पक्का मकान बनाना बादल जी,के लिए नामुमकिन था, परंतु जब नगर पंचायत के कर्मियों एवं प्रतिनिधियों द्वारा बादल को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बारे में जानकारी दी गयी, तो बादल के मन में उम्मीद की नई किरण जगी कि मेरा भी अपना पक्का मकान होगा.

नगर पंचायत कर्मियों द्वारा बादल को आवास हेतु आवेदन भरवाया गया एवं आवास स्वीकृत होने के उपरांत घर बनाना शुरू हो गया. देखते ही देखते मूलभूत सुविधाओं जैसे रसोई-घर, शौचालय, बिजली, पानी इत्यादि से युक्त बादल का अपना पक्का घर बनकर तैयार हो गया.

प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) के तहत घर बनने से बादल अब अपने पूरे परिवार के साथ स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन यापन कर रहे हैं.

नगरीय प्रशासन निदेशालय के कार्यालय का नव निर्मित भवन में हुआ स्थानांतरण

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड के कार्यालय का स्थानांतरण, नव-निर्मित झारखंड शहरी नियोजन और प्रबंधन संस्थान (JUPMI) भवन, धुर्वा के प्रथम तल पर किया गया. दिनांक,16 जनवरी 2021 को नए कार्यालय में हवन-पूजन किया गया। सकारात्मक सोच एवं नई ऊर्जा के साथ नव निर्मित भवन में निदेशालय के कार्य क्रियान्वयन हेतु निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय, विजया जाधव, श्रीमती मेघना रूबी कच्छप, सहायक निदेशक, श्री शैलेश प्रियदर्शी, सहायक निदेशक एवं संयुक्त रूप से सभी कार्यालय कर्मियों ने पूजन कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की.

नवीन कार्यालय का पता

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास और आवास विभाग,
प्रथम तल्ला, जुपमी बिल्डिंग,
एच.ई.सी. मुख्यालय के बगल में, धुर्वा,
रांची -834004, झारखंड

नगरीय प्रशासन निदेशालय,
नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार का प्रकाशन

ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक महत्व का क्षेत्र : दुमका नगर परिषद्

दुमका शब्द की उत्पत्ति दामिन -ई- कोह (अर्थातः पहाड़ का आंचल) शब्द से माना जाती है. दुमका नगर परिषद की स्थापना 1903 में की गयी थी. ये झारखण्ड राज्य की उपराजधानी है साथ ही यह सन्थाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय भी है. यहां के आदिवासियों में मुख्यतः सन्थाल अदिवासी हैं. यहां पहाड़िया और मेलर घटवार जाति भी पाई जाती है. संथालों की बहुलता के कारण ही इस प्रमंडल का नाम सन्थाल परगना रखा गया है.

1855 में सन्थाल विद्रोह के बाद भागलपुर से काटकर इसे अलग जिला बनाया गया था. समय के साथ प्राचीन दुमका जिला से कटकर 5 और जिले बने है गोड्डा, देवघर, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा. राजमहल की पहाड़ियों के घिरे होने के कारण दुमका जितना दुर्गम रहा है उतना ही आर्थिक दृष्टि से अहम भी. 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत के बाद यह क्षेत्र अफगानों के कब्जे में आ गया, लेकिन जब हुसैन कुली खान ने बंगाल पर जीत हासिल की तो यह क्षेत्र मुगल सम्राट अकबर के प्रभुत्व में आ गया.

पर्यटन

दुमका में पर्यटन के दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण स्थान है.जैसे -

- बासुकिनाथ मन्दिर, मलूटी मन्दिर, मसानजोर डेम, बास्कीचक, सृष्टि पार्क.
- बासुकिनाथ, दुमका शहर से 25 कि.मी की दूरी पर स्थित है. यहाँ हरवर्ष सावन माह में देश-विदेश से शिव भक्त आते है और गंगा जल अर्पित करते है.
- मलूटी मन्दिर - यह मंदिर दुमका-तारापीठ, रामपुरहाट मार्ग मे स्थित है. मलूटी को मंदिरों का गाँव भी कहा जाता है. यहां एक समय मे 108 मन्दिर और 108 तालाब थे.
- यहां का मुख्य मंदिर माँ मौलिक्षा को समर्पित है जिसे माँ तारा(तारापीठ, रामपुरहाट प.बंगाल)की बहन माना जाता है.
- मसानजोर डैम या कनाडा डैम,दुमका शहर से 25 कि.मी की दूरी पर मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है.यहा की प्राकृतिक छटा देखने योग्य है.

दुमका नगर परिषद

कुल वार्डों की संख्या
21

स्थापना
1903

जनसंख्या
लगभग
50,000

क्षेत्रफल
6.42
वर्ग किलोमीटर

साक्षरता दर
89.90%

अध्यक्ष - श्रीमती श्वेता झा

उपाध्यक्ष - श्री विनोद कुमार लाल

नगर निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की प्रचार सामग्री का वितरण

प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी)अंतर्गत चतुर्थ घटक के तहत ''लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण'' (BLC) के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न नगर निकायों में प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण किया गया. इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आवास मुहैया करवाना है. वितरित की जा रही प्रचार सामग्री के पीछे आवेदन फॉर्म भी प्रकाशित किया गया था ताकि इसके माध्यम से लाभुक जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ आवास हेतु आवेदन कैसे करना है, इसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकें.

उक्त योजना के अंतर्गत लाभुक के परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होने चाहिए एवं उनकी वार्षिक आय अधिकतम रु० 3 लाख हो. इसके अतिरिक्त लाभुक 17-06-2015 के पूर्व से नगर निगम / नगर परिषद् / नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करता हो. लाभुक, योजना के विभिन्न घटकों में से किसी एक घटक का ही लाभ ले सकते हैं.

हुसैनाबाद नगर पंचायत में प्रचार सामग्री का वितरण किया गया.

मिहिजाम में प्रचार सामग्री का वितरण.

संरक्षक
श्री हेमंत सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री

संपादक
विनय कुमार चौबे
सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

कार्यकारी संपादक
विजया जाधव
निदेशक
नगरीय प्रशासन निदेशालय,
नगर विकास एवं आवास विभाग

यह बुलेटिन विभाग के कार्यों के प्रति जन जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित है.

Government of India

प्रधान मंत्री आवास योजना–शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojna-Urban

GLOBAL HOUSING TECHNOLOGY CHALLENGE INDIA

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

नई एवं उभरती तकनीक से

लाईट हाउस प्रोजेक्ट, राँची

मात्र रु० 6.79 लाख में अपना घर

आवासीय परियोजना की विशेषताएँ

- लगभग 315 वर्गफीट का घर
- बिजली, पानी, आधारभूत संरचना की सम्पूर्ण व्यवस्था
- बैंको से आसान किस्तों में लोन
- सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था
- 2 पहिया, 4 पहिया पार्किंग की व्यवस्था
- हाई स्पीड लिफ्ट्स
- सामुदायिक भवन
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
- प्राथमिक विद्यालय
- कौशल विकास केंद्र
- बहुउद्देशीय हॉल

पात्रता

- वैसे परिवार जो 17 जून 2015 के पूर्व से नगर निगम क्षेत्र में निवास करते हैं।
- परिवार की सालाना आमदनी अधिकत्तम 3 लाख रु० हो।
- आवेदक या उसके परिवार के नाम से भारत में कहीं पक्का मकान न हो।
- योजना अंतर्गत लाभुक परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।

हमारा सपना...
हर शहरी गरीब का हो घर अपना

आवासीय परियोजना का विवरण

प्रति फ्लैट लागत : रू० 13.29 लाख
प्रति फ्लैट राज्य सरकार का अंशदान : रू० 1.0 लाख
प्रति फ्लैट केंद्र सरकार का अंशदान : रू० 5.5 लाख
प्रति फ्लैट लाभुक का अंशदान : रू० 6.79 लाख

* फर्निचर और उपकरण शामिल नहीं हैं

फ्लैट की प्रमुख विशेषताएं

- विट्रीफाइड टाइल्स युक्त फर्श
- स्टेनलेस स्टील सिंक
- दीवारों पर पुट्टी
- उच्च गुणवत्ता सेनेटरी फिटिंग
- डिस्टेंपर युक्त रंगरोगन
- उच्च गुणवत्ता वायरिंग एवं स्विच
- कमरों में पंखे का प्रावधान
- UPVC खिड़कियां मच्छरदानी सहित
- अग्निशमन की व्यवस्था
- बेडरूम में अलमारी
- रसोई में प्लेटफॉर्म के नीचे कैबिनेट

आवेदन पत्र के साथ जमा करने हेतु आवश्यक दस्तावेज

आवेदन हेतु निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य होंगे–

- लाभार्थी का पहचान पत्र एवं संयुक्त धारक का पहचान पत्र (स्व सत्यापित छायाप्रति)
- लाभार्थी का पासपोर्ट साइज फोटो (3 प्रति)
- लाभार्थी का बैंक अकाउंट संख्या एवं पासबुक (स्व सत्यापित छायाप्रति)
- लाभुक सहमति पत्र (स्व हस्ताक्षरित मूल प्रति); **(Consent Form)**
- स्व घोषणा पत्र (स्व हस्ताक्षरित मूल प्रति)
- आधार कार्ड (स्व सत्यापित छायाप्रति)
- लाभार्थी का चालू मोबाइल नंबर (आवास आवंटित होने तक सुगम संपर्क हेतु)

नोट: पहचान पत्र में ये दस्तावेज मान्य होंगे:–
पासपोर्ट/पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/राजस्व प्रधिकार प्रमाण पत्र/ बैंक पासबुक/बी.पी.एल कार्ड)

आवेदन कैसे करें?

- लाभार्थी नगर निगम से आवेदन फार्म, घोषणा पत्र एवं लाभुक सहमति पत्र प्राप्त कर उसे भरकर नगर निगम कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
- लाभार्थी फार्म जमा करने के उपरांत प्राप्ति रसीद के तौर पर एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

लाईट हाउस प्रोजेक्ट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टॉल फ्री नं० : 1800-120-2929 पर कॉल कर या राँची नगर निगम से संपर्क कर सकते हैं।

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार Follow us on : @JharkhandDMA , Website : dmajharkhand.in

1st Floor, JUPMI Building, Beside H.E.C Headquarter, Dhurwa, Ranchi -834004, Jharkhand